कार्यालय, अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा म.प्र.

E mail –Jsdjcdw@mp.gov.in, Fax no.-07162- 247325

क्रमांक / 2617 / निर्वाह / 2026 छिन्दवाड़ा, दिनांक 12.05.2026

प्रति,

संचालक,
सूचना एवं प्रकाशन विभाग,
जनसंपर्क भवन,
वाणगंगा मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :– जिला जेल छिन्दवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों के कार्यालयीन उपयोग हेतु किराये का वाहन अनुबंध पर लिए जाने के लिए द्वितीय वार्षिक ई–निविदा सूचना वर्ष **2026-2027** को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बावत् ।

संदर्भः– म.प्र. शासन, जेल विभाग के आदेश पृ.क्र. 2435 / ई पंजी 1996715 / 2024 / तीन / जेल भोपाल दिनांक 05.11.2024 एवं जेल मुख्यालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 83 / वाहन शाखा / 2025 दिनांक 02.01.2025।

विषयांतर्गत अनुरोध है कि म.प्र. शासन, जेल विभाग एवं जेल मुख्यालय के संदर्भित आदेश / पत्रानुसार जिला जेल छिन्दवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों हेतु उपयोग हेतु वाहन किराये के लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः जिला जेल छिन्दवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों के उपयोग हेतु वाहन किराये के लिये जाने हेतु वार्षिक प्रथम ई–निविदा में एकल निविदाकार होने से निविदा निरस्त कर पुनः द्वितीय वार्षिक निविदा दिनॉक 02.06.2026 को शाम 05.30 बजे तक आमंत्रित की गई है। निविदायें क्रय समिति के समक्ष दिनांक 04.06.2026 को प्रातः **11:00** बजे तकनीकी एवं दिनांक 05.06.2026 को प्रातः **12:00** बजे वित्तीय निविदायें ई–टेन्डरिंग के द्वारा खोली जायेगी।

अतः ई–निविदा सूचना की पॉच प्रतियां संलग्न कर अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन **01 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र** एवं संबंधित जेल के क्षेत्र में प्रचलित ख्याति प्राप्त किन्ही **02 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार** पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

पृष्ठांकनक्रं. / निर्वाह / 2026 छिन्दवाड़ा, दिनॉक 12.06.2026

प्रतिलिपि :–

1. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।(संलग्न 01प्रति)
2. कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा की ओर निविदा की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री राहुल पटेल, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी जेल, छिन्दवाड़ा की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि विभागीय क्रय समिति की बैठक में नियत दिनांक 04.06.2026 को सम्मिलित होने की कृपा करें।

Scanned with CamScanner

5. तहसीलदार छिन्दवाड़ा, की ओर निविदा की एक प्रति सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी छिन्दवाड़ा,की ओर निविदा की एक प्रति प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
7. जिला परिवहन अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. स्थानीय व्यापारियों को टीप कराने हेतु प्रेषित।
9. जिला जेल छिन्दवाड़ा के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner

कार्यालय, अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा म.प्र.

E mail –Jsdjcdw@mp.gov.in, Fax no.-07162- 247325

–:: ई–निविदा वित्तीय वर्ष 2026–2027::–

mptenders.gov.in के माध्यम से ई–निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

जिला जेल छिन्दवाड़ा में अधिकारियों के उपयोग हेतु किराये का वाहन मासिक अनुबंध के आधार पर वर्ष 2026–27 में **www.mptenders.gov.in** पर दिनांक 02.06.2026 को शाम 05:30 बजे तक ऑनलाईन द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	विवरण	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	ऑन लाईन निविदा प्रकाशन	13.05.2026	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा
2.	प्रिबिड	25.05.2026	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा
3.	ऑनलाईन फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि, निविदा फार्म का मूल्य 05 लाख तक की निविदा हेतु 500/–रूपये प्रति फार्म राशि ऑनलाईन शीर्ष 0056–800 अन्य प्राप्तियॉ में जमा किया जाएगा।	02.06.2026 को सायंकाल 05:30 बजे तक	बेवसाईट **www.mptenders.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।
4.	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.06.2026 को सायंकाल 05.30 बजे तक	बेवसाईट **www.mptenders.gov.in** पर स्वीकार की जावेगी।
5.	तकनीकी निविदा (आवश्यक दस्तावेज) एवं नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण	04.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा
6.	ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	05.06.2025 को प्रातः 12.00 बजे	कार्यालय अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा

निविदा फार्म एवं निविदा से संबंधित जानकारी **www.mptenders.gov.in** वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म दर्शित वेबसाईट पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन पेमेंट कर क्रय किया जा सकता है।

अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner

—: कार्यालय अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा,म.प्र.:—

—: किराया वाहन संबंधी द्वितीय ई—निविदा वर्ष 2026—27 के नियम एवं शर्तें :—

1- जिला जेल छिन्दवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों हेतु मुख्यालय एवं मुख्यालय के बाहर शासकीय कार्य से आवागमन के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए अनुबंध आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने की कार्यवाही म.प्र. शासन, जेल विभाग के आदेश पृ.क्र. 2435/ई पंजी 1996715/2024/तीन/जेल भोपाल दिनांक 05.11.2024 एवं जेल मुख्यालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 83/वाहन शाखा/2025 दिनांक 02.01.2025 के अनुपालन में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित—2022) के अंतर्गत ई—टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑन लाईन की जाएगी।

2- निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी बेवसाईट **www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख रूपये तक रूपये 500/— निविदा फॉर्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेलें 800 अन्य प्राप्तियों में जमा करना होगा।

3- निविदा ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र में जमा की जायेगी। निविदा में 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि **www.mptenders.gov.in** पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएगी। 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति **(Earnest Money Deposit)** की राशि का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	कार्य का नाम	कुल वार्षिक अधिकतम लागत	03 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि
01	जिला जेल छिन्दवाड़ा में पदस्थ अधिकारियों के लिये मासिक अनुबंध के आधार पर किराया वाहन	4,50,000/—	13,500/—

बिड राशि में वाहन को 800 किलोमीटर मासिक वाहन मालिक द्वारा चलवाया जाना सम्मिलित है। 800 किलोमीटर के पश्चात् डीजल/पेट्रोल का भुगतान फर्म को पृथक से किया जायेगा।

4- ई—निविदा में राशि रूपये 7,00,000/— (एक्स—शोरूम प्राईज नवीन) तक के कीमत वाले पेट्रोल/डीजल वाहनों एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रू. 10,00,000/— (एक्स—शोरूम प्राईज नवीन) हेतु निविदा प्रस्तुत की जाएगी। पुराने वाहन होने पर IDV वैल्यू रूपये 7,00,000/— से अधिक नही होना चाहिए।

5- प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 एवं जेल मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट—3/भोपाल दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) में पृथक पृथक 200—200 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ— पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई—टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ—पत्र के अभाव में निविदा मान्य नही होगी। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है:—

—::शपथ पत्र ::—(अ)

(कारागार अधिनियम—1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनूरूप)

(मैं...जो केन्द्रीय जेल /जिला जेल/सब जेल.. के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.. की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म ....के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नही है।)

हस्ताक्षर शपथकर्ता

Scanned with CamScanner

–::शपथ पत्र ::–(ब)

(जेल मुख्यालय म.प्र.भोपाल के परिपत्र कमांक 05/वारंट–3बंदी मृत्यु/2015 भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं...जो केन्द्रीय जेल /जिला जेल/सब जेल.......................................के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म.. की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा करने वाली फर्म ....के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नही है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

6- निविदाऐं जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जायेंगी।

7- कलेक्टर दर एवं जिले में स्थित अन्य शासकीय विभागों में वर्तमान में उपयोग किये जा रहें अनुबंधित वाहनों की दरों तथा प्रचलित बाजार दर के आधार पर निविदा दर को आधार माना जायेगा।

8- निविदा के दौरान शर्तो के अनुरूप अभिलेखों एवं वाहन से संबंधित निविदाकारों द्वारा ऑनलाईन अपलोड अभिलखों दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा और इसमें पात्र घोषित किये गये निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। तकनीकी निविदा के तहत् निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति स्वंय हस्ताक्षरित ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जाएगाः–

   I. वाहन मालिक का पता एवं पैनकार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति।
   II. शपथ पत्र प्रारूप (अ) एवं (ब) मूलप्रति में।
   III. वाहन निर्धारित एक्स–शो रूम संबंधी दस्तावेज या ठेका बाद उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा पत्र। (संलग्न अनुसार)
   IV. तीन प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा की प्रति।

9- प्रदाय किया जाने वाला वाहन टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा वाहन कार्यालय में संलग्न करने के पूर्व वाहन के समस्त अभिलेख अद्यतन स्थिति में प्रस्तुत करने होंगे तथा यदि प्रदाय वाहन के दस्तावेजों में कोई कमी प्राप्त होती है तो निविदाकार को निविदा से पृथक किया जा सकता है।

10- तकनीकी निविदा के तहत् प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11- निविदा स्वीकृति की सूचना के एक सप्ताह के अंदर अनुबंध नही किये जाने की दशा में धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

12- अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से एक वर्ष की होगी।

13- एजेंसी द्वारा अनुबंध की शर्तो/कर प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

14- जेल महानिदेशक/जेल अधीक्षक को यह अधिकार होगा कि, बिना कोई कारण दर्शाये एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

15- वाहन वर्ष 01.01.2021 अथवा उसके पश्चात् का मॉडल होना चाहिए वाहन टैक्सी कोटा में रजिस्टर्ड होना चाहिए।वाहन का कम्प्रीहेन्सीव इन्शोरेन्स होना अनिवार्य होगा। जो वाहन टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड नही है उनके लिए टैक्सी उपयोग की अनुमति होना आवश्यक है।

16- बंधक रखी वाहनों के संबंध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा एवं वाहन जप्त होने की दशा में निविदाकार तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा।

17- निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार महानिदेशक/जेल अधीक्षक को होगा।

18- निविदा स्वीकृति पर वाहन चालक के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण नही है शपथ पत्र में देना होगा। साथ ही वाहन चालक का आधार कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

19- वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात् निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर बिल के सत्यापन के पश्चात् ही किया जावेगा।

20- वाहन से की गई यात्रा का वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जावेगा, जिसके लिये वाहन में लॉगबुक रखना अनिवार्य होगा।

21- वाहन के लिए फ्यूल, डीजल/पेट्रोल/ऑयल की व्यवस्था कार्य के दौरान निविदाकार को करनी होगी।

22- वाहन का मायलोमीटर हमेशा चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।

23- वाहन की मरम्मत तथा शासकीय करों आदि का व्यय निविदाकार को स्वंय वहन करना होगा एवं निविदाकर्ता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिए वाहन ले जाए जाने पर की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जाएगा।

24- वाहन क्षतिग्रस्त होने व मरम्मत होने की स्थिति में समतुल्य मूल्य का वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

25- वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिए जेल महानिदेशक/जेल अधीक्षक कार्यालय जिम्मेदार नही रहेगा। इसके लिए निविदाकार स्वंय जिम्मेदार होगा। यदि प्रदाय किया गया वाहन संस्था मालिक के नाम से पंजीकृत नही है तो संस्था एवं वाहन मालिक के मध्य संपादित करारनामा प्रस्तुत करना होगा।

26- प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर निविदाकार अपनी व्यवस्था एवं स्वंय के व्यय से अधिकारी को यथा स्थान पर ले जाने एवं वापिस गंतव्य स्थान पर लाने हेतु उत्तरदायी होगा।

27- वाहन चालक का आचरण/व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना चाहिए तथा निविदाकार को वाहन चालक के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर देना होगा।

28- निविदाकार द्वारा वाहन चालक एजेंसी का मोनो लगा हुआ ओवरकोट प्रदाय करना होगा जिसे वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते समय धारण करना अनिवार्य होगा।

29- वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, जेल महानिदेशक/ जेल अधीक्षक कार्यालय द्वारा नही की जावेगी। वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना तथा आंदोलन या प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए भी निविदाकार ही जिम्मेदार होगा।

30- वाहन खराब होने की दशा मे वैकल्पिक व्यवस्था निविदाकार को करना होगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य वाहन का उपयोग करने के लिए प्रभारी अधिकारी स्वतंत्र रहेगा, जिसपर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगी।

31- विशेष परिस्थिति में अनुबंध अवधि तीन माह तक के लिये बढ़ाई जा सकती है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा।

32- म्यूनिसिपल टैक्स, वाहन काम्प्रेहेन्सिव बीमा एवं अन्य टोल टैक्स सर्विस टैक्स इत्यादि जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभारित किए जायेंगे वह निविदाकार को व्यय करना होगा।

33- वाहन की मरम्मत/रख–रखाव अथवा अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग किए जाने की स्थिति में निविदाकार द्वारा उसी स्तर का अन्य वाहन उपलब्ध करना होगा।

34- नियमों/शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई राशि निविदाकार को वापस नही की जावेगी।

35- इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में जेल महानिदेशक/जेल अधीक्षक कार्यालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

अधीक्षक
जिला जेल छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner

<u>घोषण पत्र</u>

मैं...फर्म..
द्वारा जिला जेल छिन्दवाड़ा में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वाहन ठेके में भाग लिया गया है। यदि उक्त ठेके हेतु मेरी फर्म चयनित होती है, तो मेरे द्वारा वर्ष 2021 से या उसके पश्चात् क्रय किया एक्स–शो रूम कीमत रू.7,00,000/– तक का वाहन जिला जेल छिन्दवाड़ा को उपलब्ध कराऊंगा। यदि किसी तकनीकी कारणवश उक्त एक्स–शो रूम राशि से अधिक कीमत का वाहन मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो वह भी स्वीकृत ठेका दर पर (बिना किसी अतिरिक्त शुल्क) उपलब्ध कराने की सहमति देता हूँ।

निविदाकार नाम व हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

(परिशिष्ट–1)

–:: वाहन संबंधी जानकारी ::–

क्रं.	वाहन का नाम/ प्रकार मय कंपनी	वाहन का ईंधन पेट्रोल/डीजल/ इलेक्ट्रिक	वाहन का मॉडल एवं मेक वर्ष	वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक	वाहन मालिक का नाम एवं पता	वाहन का एक्स शो–रूम कीमत या IDV वैल्यू
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.						
2.						
3.						

स्थानः–
दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by GYANANSHU BHARTIYA
Date: 2026.05.12 20:22:15 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with CamScanner